रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 183] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 5, 1978/चैत्र 15, 1900

No. 183] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 5, 1978/CHAITRA 15, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1978

सा० आ० 250(अ) :—भारत निर्वाचन आयोग ने भारत के राजपत्र और हरियाणा राज्य के शासकीय राजपत्र में तारीख 1 मार्च, 1978 को प्रकाशित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उप धारा (1) के अधीन अधिसूचना द्वारा, श्री भगवत दयाल शर्मा द्वारा त्यागपत्र दे दिए जाने के कारण लोक सभा में हुई रिक्ति को भरने के लिए 3. करनाल संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से एक व्यक्ति निर्वाचित करने की अपेक्षा की है;

और, भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के खंड (ङ) के अधीन, तारीख 5 अप्रैल, 1978 (बुधवार) उस तारीख के रूप में नियत की है, जिसके पूर्व इस निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन पूरा कर लिया जाएगा;

और, निर्वाचन आयोग का यह विचार है कि अपरिहार्य परिस्थितियो के कारण, इस निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन उस विहित तारीख से पूर्व पूरा करना संभव नहीं हो सकेगा;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 153 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग 3. करनाल संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन पूरा कर लेने की तारीख को तारीख 5 अप्रैल, 1978 (बुधवार) से बढाकर तारीख 7 अप्रैल, 1978 (शुक्रवार) तक करता है, और उक्त अधिनियम की धारा 30 के अधीन जारी की गई अपनी अधिसूचना सं० 100/हरि०लो० सं०/1/77(2), तारीख 1 मार्च, 1978 मे निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान प्रविष्टि सं० (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी :—

"वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन पूरा कर लिया जाएगा—7 अप्रैल, 1978 (शुक्रवार)"

[सं० 100/हरि० लो० सं०/1/77/(2)]

वी० नागसुब्रमण्यम, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 1978

S.O. 250(E).—Whereas the Election Commission has by notification under sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), published in the Gazette of India and also in the Official Gazette of the State of Haryana on 1 March, 1978, called upon the 3-Karnal Parliamentary Constituency to elect a person to fill the vacancy occurred in the House of the People by reason of the resignation of Shri Bhagwat Dayal Sharma;

And whereas, the Election has under clause (e) of Section 30 of the Representation of the People Act, 1951 appointed 5 April, 1978 (Wednesday) as the date before which the election from this constituency shall be completed ;

26 GI/78

And whereas, the Commission considers that owing to unavoidable circumstances, it would not be possible to complete the election in this constituency before the specified date ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 153 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby extends the time for completion of the election from 3-Karnal Parliamentary Constituency from 5 April, 1978 (Wednesday) to 7 April, 1978 (Friday), and makes the following amendment in its notification No. 100/HN-HP/1/77(2), dated the 1 march, 1978 issued under Section 30 of the said Act, namely :—

In the said notification for the existing entry (e), the following shall be substituted ;

"the 7 April, 1978 (Friday), as the date before which the election shall be completed."

[No. 100/HN-HP/1/77(2)]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978